त्वरित एवं गुणवत्तायुक्त न्याय तक पहुँच की ओर एक कदम

गुणवत्तापूर्ण तथा समयबद्ध न्याय तक पहुँच स्थापित करने के अपने मिशन में मध्य प्रदेश शासन ने हाल ही में उच्चतर न्यायिक सेवा नियम 1994 में संशोधन किया है। त्वरित न्याय प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए राज्य शासन ने समय–समय पर उ.न्या. सेवा के स्तर पर स्वीकृत पदों में वृद्धि की है तथा वर्तमान में 505 स्वीकृत पद उपलब्ध हैं।

शेट्टी आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने ऑल इण्डिया जजेस एसोसिएशन्स के प्रकरण में उ. न्या. सेवा संवर्ग के 25% पदों को बार से सीधी भर्ती द्वारा भरने का निर्देश दिया। राज्य शासन ने जून 2005 में उच्च न्या.सेवा नियम को तद्नुसार संशोधित किया, जिनमें 25% पदों को बार से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हेतु चिन्हित किया गया।

नियमों में संशोधन क्यों आवश्यक हुआ :–

यह अनुभव किया गया है कि बार से सीधी भर्ती द्वारा योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं। यह स्पष्ट है कि सन् 2010, 2012 तथा 2014 में कमशः 33, 42 तथा 77 रिक्त पदो ंके विरूद्ध सीधी भर्ती द्वारा एक भी पद भरा नहीं जा सका। सन् 2015 में संचालित चयन प्रक्रिया में 84 रिक्तियों के विरूद्ध केवल 9 उम्मीदवार ही चयनित किए जा सके। अतः पिछले दस वर्षों के दौरान यानि 2006 से 2015 के बीच उच्चतर न्याय. सेवा संवर्ग के कुल 394 विज्ञापित पदों के विरूद्ध केवल 37 उम्मीदवार ही बार से चयनित किए जा सके।

आज की स्थिति में 505 पदों की कुल स्वीकृत संख्या में से अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के 90 से अधिक न्यायालय रिक्त पड़े हैं। इसके कारण प्रति न्यायाधीश औसत लंबित प्रकरणों की संख्या बढ़कर 1100 हो गई है जिसने न्यायदान में विलंब को बढ़ाया है। 2014 के दौरान उच्चतर न्या. सेवा के स्तर पर एक न्यायाधीश द्वारा औसतन 732 प्रकरणों का निराकरण किया गया है, अतः 75 और (अतिरिक्त) न्यायाधीशों की उपलब्धता से 55,000 अतिरिक्त प्रकरणों का निराकरण सुगमता से हो सकता था।

संशोधन का मुख्य कारण यह सुनिश्चित करना था कि अधीनस्थ न्यायालयों में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के स्तर का कोई भी पद कम से कम निरंतर दो चयन प्रकियाओं के बाद रिक्त न रहे, जो कि पक्षकारों के हितों के विरूद्ध है। यह परिवर्तन पक्षकारों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण न्याय प्राप्त करने का अधिकार, जो कि संविधान द्वारा प्रत्याभूत है, को सुनिश्चित करने हेतु किया गया है।

संशोधित नियम कैसे कार्य करेंगे :–

संशोधित नियमों के अंतर्गत बार से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों का कोई भी न्यूनीकरण नहीं होगा। बार द्वारा सीधी भर्ती से पदों को भरने के लिए केवल एक समय सीमा निर्धारित की गई है। यदि निरंतर दो चयन प्रकियाओं के बावजूद ऐसे पद रिक्त रहते हैं तो उन्हें मेरिट के आधार पर वास्तव में उन व्यवहार न्यायाधीशों (वरिष्ठ वर्ग) से भरा जाएगा जिन्होंने कुल मिलाकर 7 वर्षों की न्यायिक सेवा व 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है।

संशोधित नियम चयन की प्रकिया की गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं करते है तथा चयन केवल करने के रूप में नहीं किया जावेगा। इस मामले में म0प्र0 राज्य ने उत्तरप्रदेश के स्वरूप का अनुसरण नहीं किया है, जिसके तहत सीधी भर्ती प्रक्रिया द्वारा बाकी खाली पद स्वतः सिविल जजों से पदोन्नति पर भरे जाते हैं।

बार से सीधी नई भर्ती हेतु मौजूदा प्रक्रिया प्रत्येक स्तर पर न्याय संगतता तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। प्रारंभिक स्तर से लेकर परिणामों की घोषणा तक चयन प्रक्रिया उच्च न्यायालय न्यायमूर्तिगण की समिति के प्रबंधन तथा मार्गदर्शन के तहत पूर्ण की जाती है। ऑन लाईन प्रारंभिक परीक्षा संचालित की जाती है तथा संपूर्ण डाटा वास्तविक समय के आधार पर संरक्षित रखा जाता है। परीक्षा में न्याय–संगतता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए समस्त स्तरों पर कार्यवाहियों हेतु मानदण्डों को विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है परन्तु इस प्रक्रिया की प्रकृति के कारण इसे गोपनीय रखा जाता है। साक्षात्कार में न्यूनतम उत्तीर्णांक के कारण नामंजूर किये जाने का पिछला अनुभव उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 88/2015 में दिनांक 11–8–2015 पारित निर्णय के बाद अब मान्य नहीं है ।

प्रशिक्षण द्वारा अभिभाषकगण को प्रेरित करना :–

पिछले कई वर्षों के दौरान म0प्र0 उच्च न्यायालय ने अधिवक्ताओं को न्यायिक सेवा की धारा में शामिल करने में प्रेरित करने हेतु सार्थक प्रयास किये है। जुलाई – 2014 से फरवरी – 2015 तक, म0प्र0 राज्य न्यायिक अकादमी द्वारा अधिवक्ताओं हेतु प्रशिक्षण कार्यकम आयोजित किए गए थे। प्रत्येक बैच में म0प्र0 राज्य बार कौंसिल द्वारा मनोनीत 50 अधिवक्तागण थे। सितम्बर 2015 से जनवरी 2015 तक इसी तर्ज पर और कार्यक्रम आयोजित किए जाने है। तथापि इन प्रयासों से ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं हुई है।

उक्त बहुशाखी पद्धति न्याय प्रशासन में कुशलता बढ़ाने व पक्षकारों को गुणवत्तापूर्ण एवं समय सीमा में न्याय दिलाने हेतु व्यापक जनहित में अंगीकार की गई है।

रजिस्ट्रार जनरल